

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोटडी
व भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार गिण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटडी तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 438 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कोटडी	438	हीरालाल पुत्र डेवमिशान दिल्ला-113 जाति-कुम्हार सा. डे. खातेदार राहिन दिल्ला-113 (पूर्व खाता) 5885 शाखा राजपुरा दरीवा	हीरालाल पुत्र डेवमिशान दिल्ला-113 जाति-कुम्हार सा. डे. खातेदार राहिन दिल्ला-113 (पूर्व खाता) 5881 शाखा राजपुरा दरीवा



उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - 1/2025/139
प्रतिलिपि -

दिनांक - 3/11/20

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर